

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

क्रमा नं 1/2/2024

तारीख रजू :- 2. 4. 2024

दावा बाबत तकास्मा आराजीयात , घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2024/88

उनवान



राकेश गौड पुत्र श्री कैलाश चंद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी काना हनुमान पाडा हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

—वादी

बनाम

कैलाशचंद शर्मा पुत्र स्व0 रघुवीर शरण शर्मा वगै0 जाति ब्राहमण निवासी काना हनुमान पाडा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

—प्रतिवादीगण 25

| दिनांक | फर्द अहकाम |
|-----------------------|---|
| 2-4-2024 | <p>यह दावा वादी की ओर से श्री यूसुफ अली एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 29.04.2024 को पेश हो।</p> <p align="right">  (हेमराज गुर्जर) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली </p> |
| 29 th 4 | <p>पत्रावली प्रस्तुत आज बार एडवोकेटोराय द्वारा दावा स्थगन किया गया है अतः पत्रावली पूर्वदिनांक दिनांक 6-6-24 को पेश हो।</p> |
| 30 th 5 24 | <p>पत्रावली पेश हुई। वादी व वादीकील उपर की वादी व वादीकील से अनमत फ्राण्ड कि वादी व वादीकील उतरम भाई की चलाना चाहत है। वादी व वादीकील उतरम नोटिस में शारीर कराना चाहत है। अतः सुन नं 12/24 अन्तर्गत राकेश गौड बनाम कैलाशचंद नोटिस में शारीर किया जाता है। पत्रावली केमल कुमार चौकर नम्बर 21 अम्बिका</p> <p align="right">  </p> |